न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
33/2020	20.7.2020	21/7/2025

1. बाबूलाल पुत्र मिश्रया, चमार निवासी संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
2. कमला पुत्री मिश्रया पत्नी कालूराम, बैरवा निवासी किशन की झौंपडी तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थीगण

बनाम

1. कविता पत्नी राजू, बैरवा निवासी संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
2. रामकुमार पुत्र नामालुम, बैरवा निवासी ग्राम माच तहसील करौली हाल निवासी ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. भरतलाल पुत्र मिश्रया, चमार निवासी संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी
4. केशन्ती पुत्री मिश्रया पत्नी रमेश, बैरवा ग्राम जीवद तहसील बामनवास
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. जगमोहन पुत्र रामकुमार, बैरवा निवासी ग्राम माच तहसील करौली हाल निवासी ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री दिनेश चन्द डांस, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 1 की ओर से
श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 2, 6 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 569 रकबा 0.91 है0 ग्राम चूली में है जिसमें प्रार्थी बाबूलाल का हिस्सा 7/24 व वादिया कमला व केशन्ती का हिस्सा 1/24, 1/24 है एवं शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि है जिसमें पूर्व में 1/3 हिस्सा जमनालाल का था। जमनालाल ने अप्रार्थी संख्या 1 कविता पत्नी राजू को विक्रय कर दिया परन्तु भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण कविता अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है। इसके बाबजूद कविता ने अपने द्वारा क्रय की गई भूमि में से बिना कब्जे के ही एक भूखण्ड 28.6 वाई 40 फिट का अप्रार्थी संख्या 2 रामकुमार को विक्रय कर दिया। अब अप्रार्थी संख्या 2 ताकत के बल पर बिना विभाजन के ही उपरोक्त कृषि भूमि में कब्जा करने पर आमादा है जिनका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। विधि अनुसार बिना विभाजन किसी भी सहखातेदार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय नहीं किया जा सकता एवं खरीददार भी बिना विभाजन कराए क्रय की गई भूमि पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बाबूलाल वगैरा बनाम कविता वगैरा, प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

(2)

नहीं ले सकता। तदनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादपत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं निर्माण कार्य कर मकान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त विवादित भूमि में दो गड्डू गाड कर पाटोल बनाने लग गए। जैसे ही प्रार्थी बाबूलाल ने आवाज सुनी, प्रार्थी मौके पर गया एवं जबरन निर्माण कार्य करने से मना किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाराज हो गए एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आज दिनांक 10.7.2020 को प्रार्थी बाबूलाल को फौस गालियां देते हुए यह धमकी दी है कि उक्त जमीन पर कोई काश्त नहीं करने दूंगा एवं तुम्हें धक्के देकर खेतों के बाहर निकाल दूंगा। अप्रार्थीगण झगडालू व सरगना किस्म के व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिसके लिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें न ही अन्य किसी से करावें एवं प्रार्थीगण को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित किया है कि वर्तमान में राजस्व जमाबंदी के इन्द्राज अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 569 रकबा 0.91 है0 की खातेदारी में प्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल का 7/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 कमला का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 कविता का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 भरतलाल का 7/24 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 4 केशन्ती का 1/24 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता मिश्रया की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी एवं उसके फौत होने के बाद उसके वारिसान की हो गई। भूमि पैत्रक नहीं है। जमनालाल का उक्त भूमि [illegible] 3 हिस्सा पूर्व में रहा है जिसे जमनालाल व उसके भाईयो आदि [illegible] के जीवनकाल में ही बाद मौखिक विभाजन जमनालाल ने अपने [illegible] हिस्से में आई भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 कविता को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] दिनांक 3.10.2016 विक्रय कर कब्जा संभला दिया तभी से मिन अप्रार्थी अपने क्रयशुदा 1/3 हिस्से की भूमि पर अधिकारपूर्वक खातेदार काबिज हो गई। तत्पश्चात् कविता ने दिनांक 16.2.2017 को जगमोहन पुत्र रामकुमार बैरवा को अपनी क्रयशुदा भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
[illegible] सिटी (स0मा0)

मुताबिक नक्शा एक भूखण्ड संख्या 13 साईज 28 वाई 40 फीट का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा संभलाया था। इसके अलावा भी इस भूमि में बने शेष भूखण्डों को मिन अप्रार्थी संख्या 1 ने विभिन्न लोगों को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जरिए स्टाम्प विक्रय पत्र काफी साल पहले ही विक्रय कर कब्जा संभला दिया। तभी से सभी क्रेतागण अपने अपने भूखण्डों पर काबिज हैं एवं अपनी सुविधानुसार मकान आदि का निर्माण कर चुके हैं। कुछ खरीददारों ने पुख्ता मकान बनवा लिए, कुछ ने दासाबन्दी करवा ली एवं कुछ के भूखण्ड खाली पडे हुए हैं, कुछ के भूखण्डो में मकान निर्माणाधीन है। इसलिए प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ताकत के बल पर बिना विभाजन उक्त कृषि भूमि को जबरन कब्जा करने पर आमादा हो। उक्त भूमि के मूल खातेदार मिश्रया की मृत्यु के बाद भूमि की खातेदारी उसके तीनो पुत्रों बाबूलाल (प्रार्थी संख्या 1), जमनालाल व भरतलाल (अप्रार्थी संख्या 3) व उसकी पत्नी मु0 चैनी के नाम हो गई। इसके बाद तीनों भाईयों ने माता चैनी की सहमती से आपस में उक्त भूमि का बाहमी पारिवारिक समझौता अब से करीब 11 साल पहले वर्ष 2009 में ही कर लिया जिसके तहत तीनों भाईयों के 1/3, 1/3 हिस्से की भूमि आई। इसमें उत्तरी तरफा का 123 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 भरतलाल के आया तथा दक्षिणी तरफ का 1/3 हिस्सा प्रार्थी बाबूलाल के आया एवं इन दोनों के बीच वाले हिस्से की भूमि जमनालाल के आई। इसके बाद जमनालाल ने अपने 123 हिस्से की भूमि में से भूखण्ड संख्या 18 व 19 दिनांक 19.2.2016 को, भूखण्ड संख्या 11, 15 व 16 दिनांक 13.5.2016 को अनुसूची क में वर्णित व्यक्तियों को, भूखण्ड संख्या 14 को दिनांक 24.5.2016 को, भूखण्ड संख्या 6 व 7 को दिनांक 24.6.2016 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसूची ख में वर्णित लोगों को विक्रय कर दिए। इसके बाद सम्पूर्ण खसरा नम्बर 569 के 1/3 हिस्से की भूमि को उक्त सभी भूखण्ड धारियों की सहमती से करीब 4 वर्ष पूर्व दिनांक 3.10.2016 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिन अप्रार्थी संख्या 1 कविता को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खरीदशुदा वादग्रस्त भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को भूखण्डों के रूप में विक्रय कर कब्जा संभला चुकी है। लिहाजा मिन जवाबदार का कथित रूप से प्रार्थी के हिस्से की भूमि से उन्हें बेदखल करने, कब्जा करने आदि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जबाब के साथ अप्रार्थी ने नजरी नक्शा, अनुसूची क व ख पेश की है इन अनुसूचियो में अप्रार्थी जमनालाल द्वारा बेचे गए भूखण्डों की सूची व अप्रार्थी कविता द्वारा बेचे गए भूखण्डों की सूची प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

बाबूलाल वगैरा बनाम कविता वगैरा, प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

(4)

अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 569 रकबा 0.91 है0 स्थित ग्राम चूली में है। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक भूखण्ड 28.6 वाई 40 फीट का जबाबदार को विक्रय किया जाना गलत अंकित किया है तथा गलत तथ्यों के आधार पर जबाबदार को पक्षकार बनाया है। जबाबदार ने कभी किसी प्रकार का भूखण्ड प्रार्थी संख्या 1 से नहीं खरीदा। जब भूखण्ड ही जबाबदार का नहीं है तब ताकत के बल पर बिना विभाजन उपरोक्त कृषि भूमि में जबरन कब्जा करने पर आमादा होने वाली बात स्वतः ही गलत साबित होती है। जबाबदार को गलत पक्षकार बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि उक्त भूखण्ड 28 वाई 40 फीट है वह जगमोहन पुत्र रामकुमार को कविता ने विक्रय किया है। जगमोहन ने उक्त भूखण्ड के दोनों तरफ दीवार कर लोहे का एक बडा गेट लगा रखा है तथा एक छप्पर बना रखा है तथा अपने उपयोग उपभोग में काम लेता है। जगमोहन को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः जबाब पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जबाब में अंकित किया है कि कृषि भूमि ख0नं0 569 रकबा 0.91 है0 ग्राम चूली प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुकत खातेदारी की भूमि है। जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष अप्रार्थी संख्या 3 को न्यायालय द्वारा दिए जाने का किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 6 जगमोहन ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 569 रकबा 0.91 है0 ग्राम चूली में है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक भूखण्ड 28.6 वाई 40 फीट का विक्रय किया जाना गलत अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 6 को उक्त भूखण्ड में से कविता ने 28 वाई 40 फीट का एक भूखण्ड जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया है तभी से अप्रार्थी संख्या 6 का उक्त भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी ने उक्त भूखण्ड में दोनों तरफ दीवार कर एक बडा गेट लगा रखा है तथा एक छप्पर बना रखा है तथा अपने उपयोग उपभोग में काम में लेता चला आ रहा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:19 IST
Reason: SelfAttested

बाबूलाल वगैरा बनाम कविता वगैरा, प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 366 ग्राम चूली, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थी न0 1 ने अपने जबाब के समर्थन में फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 24.5.2016 बहक श्रीमती फोरन्ती देवी द्वारा जमनालाल, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 24.5.2016 बहक श्री महेश कुमार बैरवा द्वारा जमनालाल, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 24.5.2016 बहक श्रीमती वैजन्ती द्वारा जमनालाल, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 11.6.2020 बहक सुमन देवी द्वारा कविता, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 25.2.2019 बहक श्रीमती मनोहर देवी बेरवा द्वारा कविता, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 9.6.2017 बहक श्री रामलाल द्वारा कविता, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 23.2.2017 बहक श्री जगमोहन द्वारा कविता, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 19.9.2018 बहक श्रीमती सरोज देवी द्वारा कविता प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं एवं भूमि में जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर मकान बनाने को उतारू हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि मूल रूप से मिश्रया की रही है। जिसकी मृत्यु के बाद इस भूमि को उसके तीन पुत्रों बाबूलाल प्रार्थी संख्या 1, जमनालाल व भरतलाल प्रार्थी संख्या 3 ने आपस में पारिवारिक समझौता कर अब से करीब 11 साल पहले वर्ष 2009 में ही बांट लिया एवं इसी अनुसार वे अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। जमनालाल ने अपने हिस्से की भूमि में से लोगों को भूखण्ड के रूप में भूमि का विक्रय किया है जिसकी अनुसूची जबाब के साथ प्रस्तुत की है। इसी प्रकार कविता ने भी अपने हिस्से की भूमि में से भूखण्ड के रूप में लोगों को भूमि का बेचान किया है जिसकी भी अनुसूची जबाब के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:40:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में विस्तृत रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों ने मौखिक रूप से वर्ष 2009 में पारिवारिक समझौता कर विभाजन कर लिया है एवं उसी अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। अप्रार्थी कविता व अप्रार्थी जगमोहन ने अपने अपने हिस्से की भूमि में से लोगों को भूमि भूखण्ड के रूप में बेचान की है जिसकी सूची भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब के साथ प्रस्तुत की है। अप्रार्थी के इस जबाब का प्रार्थीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि मौके पर कृषि कार्य में उपयोग में नहीं ली जा रही है । अप्रार्थी संख्या 1 कविता एवं अप्रार्थी संख्या 6 जगमोहन द्वारा विक्रय किए गए भूखण्डो में ही निर्माण कार्य हुए हैं एवं चल रहे हैं। प्रार्थीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि निर्माण कार्य उनकी भूमि में ही चल रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.91 है0 स्थित ग्राम चूली के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:19 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)